**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 214**

**01 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए**

**सेना के लिए अस्त्रों तथा हथियारों का आयात**

**214. श्री अम्बेथ राजनः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना के लिए अपेक्षित विभिन्न हथियारों, अस्त्र/शस्त्र, गोला-बारूद आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने हथियारों, अस्त्रों/शस्त्रों का निर्माण देश में ही किया जाता है;

(ग) इनमें से कितने हथियार अन्य देशों से आयात किए जाते हैं; और

(घ) विभिन्न देशों से इनका आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

**(क) से (घ): सेना की आवश्यकताओं में तोप, रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां और गैर-संघातक हथियार जैसी मदें शामिल हैं।**

2014-15 **के दौरान, भारतीय सेना के लिए रक्षा उपस्कर की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए विदेशी विक्रेताओं के साथ** 04 **संविदाएं तथा भारतीय विक्रेताओं के साथ** 17 **संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं।**

 **रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी)** 2013 **में स्वदेशी अधिप्राप्तियों के लिए उच्च वरीयता के साथ श्रेणीकरण के एक वरीय क्रम का प्रावधान किया गया है। जहां उपस्कर स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहां डीपीपी में विदेशी विक्रेताओं से अधिप्राप्ति का प्रावधान है।**

**\*\*\***